5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(193) (1)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

रेस्टोरेशन प्रकरण क्रमांक /2018 विविध, पुनर्स्थापन - 6268/2018/शिवपुरी/भू.रा.

श्री बृजेन्द्र सिंह चौहान द्वारा आज दि. 5/11/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 12/11/18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 5/11/18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

महिला लक्ष्मी पत्नी स्व0 श्री सुभाष चन्द्र, आयु 67 वर्ष, निवासी– निजी नवग्रह मंदिर के पीछे, कमलागंज, तहसील व जिला शिवपुरी (म0प्र0)

-- आवेदिका

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

-- अनावेदक

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 वास्ते निगरानी प्रकरण क्रमांक 1187/एक/2007 निगरानी आदेश दिनांक 27.10.2009 को रेस्टोर किये जाने बावत्।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदिका का रेस्टोरेशन आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

1– यहकि, आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी, शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 35/2003–04/बी–121/ में पारित आदेश दिनांक 22.02.2007 से से परिवेदित होकर उक्त निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दिनांक 27.10.2009 को आवेदिका के मुख्यत्यारआम कैलाश चन्द्र सिंघल द्वारा अनुपस्थिति होने से प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त कर दिया गया।

बृजेन्द्र सिंह चौहान 05/11/18

2– यहकि, आवेदिका के मुख्यत्यारआम से आवेदिका द्वारा प्रकरण की स्थिति पूछे जाने पर टालमटोल की जाती रही, यह बताया जाता रहा कि प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

3– यहकि, आवेदिका के मुख्यत्यारआम द्वारा प्रकरण में स्वंय उपस्थिति होकर पैरवी की जाती रही है, उसके द्वारा कोई अभिभाषक प्रकरण में नियुक्त नहीं किया गया, जिसके कारण समय रहते हुए प्रकरण में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जाती है, जिसके चलते मुख्यत्यारआम की अनुपस्थिति में प्रकरण में निरस्त कर दिया गया।

4– यहकि, आवेदिका के स्व0 सुभाष चन्द्र सिंघल की मृत्यु के उपरांत आवेदिका के जेठ व पति के बड़े भाई मुख्यत्यारआम कैलाश चन्द्र सिंघल को आवेदिका की ओर से समस्त कानूनी कार्यवाही हेतु मुख्यत्यारआम नियुक्त किया गया, जिसके चलते मुख्यत्यारआम परिवार के बड़े सदस्य होने से उनके ऊपर प्रकरण में लापरवाही को लेकर संदेह की कोई गुजाईश नहीं थी, किन्तु जब परिवार में विघटन हुआ, तब मुख्यत्यारआम द्वारा आवेदिका के साथ उक्त प्रकरण छलपूर्वक निरस्त करवा दिया गया, जिसको न्यायहित में सद्भावना पर आधारित होने से पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0, प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रेस्टो0 6268/2018/शिवपुरी/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25.02.19	आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह धाकड़ उपस्थित होकर अंतर्गत धारा–32 का आवेदन प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि रेस्टोरेशन आवेदन प्रकरण कमांक 1581–एक/2009 में आदेश दिनांक 21.4.14 को ही मूल प्रकरण कमांक 1187–एक/2007 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश तत्कालीन सदस्य श्री शिवहरे द्वारा दिये जा चुके हैं, लेकिन मूल प्रकरण में पेशी दिनांक नियत नहीं की गई है। इस आदेश की जानकारी आवेदिका को नहीं थी इसलिये मुझे अधिवक्ता नियुक्त कर पुनः रेस्टोरेशन आवेदन प्रकरण कमांक रेस्टो0 6268/2018/शिवपुरी/भू.रा. प्रस्तुत किया गया। 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों को अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि पूर्व में ही तत्कालीन सदस्य द्वारा मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लेने हेतु आदेश दिया जा चुका था लेकिन उसमें पेशी नियत नहीं की गई थी। आवेदन के साथ अधिवक्ता द्वारा धारा–5 का आवेदन मय शपथ पत्र के प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण कमांक रेस्टो0 6268/2018/शिवपुरी/भू.रा. समाप्त किया जाता है । सदस्य	